


न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक:-

/१४ निगरानी R- ३००५-८१५

श्रीमति खकसाना पति डॉ. आरिफउली
निवासी हुड़को कालोनी नीमच (म.प्र.)
.....आवेदक



विस्तृद्वा

०१. वतुलबी उर्फ सोफिया बी विधवा मो. अययुब निवासी जामा मस्जिद रोड उज्जैन
०२. हनीफा बेवा डॉ. मो. अययुब बबन निवासी वेदनगर उज्जैन
०३. गुलरेज पिता अययुब बबन निवासी नईपेठ रोड छत्रीचोक उज्जैन
०४. डॉ. असलमखान पिता मो. अययुब निवासी फीरगंज घास मण्डी उज्जैन
०५. डॉ. अकरम मुत्त द्वारा वारिसान (५) श्रीमति सावराखान बेवा रव. अकरम (५) आजमखान पिता स्व. अकरम (५) कु० ८० रमजान पुत्रि स्व. अकरमखान निवासीगण नईपेठ रोड छत्रीचोक उज्जैन
- (६) म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय उज्जैन
- (७) डॉ. युसुफखान पिता अययुब बबन निवासी छत्रीचोक उज्जैन (म.प्र.)
.....आनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भ०राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा इंगोरिया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के क्रमांक २२/अ-६/१२.१३ में पारित आदेश दिनांक ३१.०५.१४ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण नकल के दिन मुजरा करने पर अन्दर अवधि प्रस्तुत करती है।

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा इंगोरिया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के क्रमांक २२/अ-६/१२.१३ में पारित आदेश दिनांक ३१.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3005-एक/14

ज़िला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, ज़िला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p>  	